पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल की राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार एवं जनता के प्रति जवाबदेही बनती है - राम नाईक

लखनऊः 13 अप्रैल, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना जिसमें यह कहा गया है कि राज्यपालों को प्रदेश के बाहर जाने से पूर्व राष्ट्रपति कार्यालय से अनुमति लेनी चाहिए और एक वर्ष में 72 दिनों या 20 प्रतिशत से अधिक राज्य के बाहर नहीं जाना चाहिए, को स्वागत योग्य बताया है।

राज्यपाल ने पूछे गये प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल की राष्ट्रपति एवं केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेही बनती है। राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार और जनता को भी मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं।

श्री नाईक ने बताया कि 22 जुलाई, 2014 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद की शपथ ली थी। 22 जुलाई, 2014 से 13 अप्रैल, 2015 तक, यानि 265 दिनों में वे 20 प्रतिशत के हिसाब से 53 दिवस प्रदेश के बाहर जा सकते थे लेकिन वे केवल 36 दिन प्रदेश के बाहर रहे। वे राष्ट्रपति के आमंत्रण पर व उत्तर प्रदेश पर आधारित एक पुस्तक के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित होने हेतु 6 दिन के लिए दिल्ली गये। जब उनके पास राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था तब वे 6 दिन राजस्थान रहे। इसी तरह वे महाराष्ट्र में इण्डियन साईंस कांग्रेस के समापन के लिए, नेशनल डिफेंस अकादमी के दीक्षान्त समारोह में तथा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह व अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने गये थे। इसी तरह वे उत्तराखण्ड और पंजाब में भी आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिति हुए थे।